



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237870
CG-DL-E-03082022-237870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3470]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944

No. 3470]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2022

का.आ. 3636(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5485, तारीख 31.12.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 31.12.2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा NH-45 (शाहपुरा से डिंडोरी मार्ग) (तहसील-शाहपुरा) संसोधित के कि.मी. 0+000 से 160+000 कि.मी. तक के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "दैनिक हरी भूमि" में गुरुवार 17 मार्च 2022 और "द पायोनियर" में गुरुवार 17 मार्च दिसंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के डिंडोरी जिले में राजमार्ग संख्या NH-45 के कि.मी. 0+000 से 160+000 कि.मी. तक (शाहपुरा से डिंडोरी मार्ग) (तहसील-शाहपुरा) संसोधित के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश					
जिले का नाम: डिंडोरी					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शाहपुरा				
	गांव का नाम: बांकी माल				
1	400	निजी	असिंचित	0.038	मनोहर पिता हुक्ला जाति कोल पता शाहपुरा डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय (४००/१)
	गांव का नाम: बरगाँव				
2	1028/1	निजी	सिंचित	0.105	लीलाधर पिता नन्हेंलाल जाति तेली पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१०२८/१)
3	1028/2	निजी	सिंचित	0.008	देवीदीन पिता नन्हेंलाल जाति तेली पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१०२८/२)
4	1946/3	निजी	सिंचित	0.001	विवेक नाबालिग पिता रामचरन जाति तेली पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१९४६/३)
5	1946/4	निजी	सिंचित	0.065	विवेक नाबालिग पिता रामचरन जाति तेली पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१९४६/४)
6	1946/5	निजी	सिंचित	0.056	विजय पिता तुलाराम जाति तेली पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१९४६/५)

	गांव का नाम: बरखेड़ा माल				
7	216	सरकारी	सेवा खातेदार	0.046	अवधबिहारी पिता नरजू परधान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (२१६/१)
8	217	सरकारी	सेवा खातेदार	0.031	अवधबिहारी पिता नरजू परधान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (२१७)
9	901/181	निजी	पट्टेदार	0.003	सुदर्शन पिता गंगाराम जाति मेहरा पता सा. देह शासकीय पट्टेदार (९०१/१८१)
	गांव का नाम: देवरी कला				
10	311	सरकारी	नदी	0.221	मध्य प्रदेश शासन (३११)
	गांव का नाम: टिकरा खम्हरिया				
11	24	निजी	शासकीय पट्टे दार	0.032	घनश्याम पिता पंचम जाति परधान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश (२४)
12	4	निजी	शासकीय पट्टे दार	0.015	घनश्याम पिता पंचम जाति परधान पता डिंडोरी मध्य प्रदेश (४)
			कुल	0.621	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/48/2018-19/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2022

S.O. 3636(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5485 dated 31.12.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-45 on the stretch of land from Km. 0+000 to 160+000 K.m. in (Shahpura to Dindori-Road) (Tehsil-Shahpura) Corrigndam in the district of Dindori, in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Hari Bhoomi” 17 March 2022 Thursday; And “The Pioneer” 17 March 2022 Thursday; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0+000 to 160+000 Km. (Shahpura to Dindori-Road) (Tehsil-Shahpura) Corrigendum Of the NH-45 in the district of Dindori, in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: DINDORI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shahpura				
	Village: Banki Mal.				
1	400	Private	Non irrigated	0.038	Manohar Father Hukla Caste Coal Address Shahpura Dindori Madhya Pradesh Bhumiswami Non-Transferble 400/1
	Village: Bargaon				
2	1028/1	Private	Irrigated	0.105	Liladhar Father Nanhelal Caste Teli Address Dindori Madhya Pradesh land Owner 1028/1
3	1028/2	Private	Irrigated	0.008	Devideen Father Nanhelal Caste Teli Address Dindori Madhya Pradesh land Owner 1028/2
4	1946/3	Private	Irrigated	0.001	Vivek Minor Father Ramcharan Caste Teli Address Dindori Madhya Pradesh land Owner 1946/3
5	1946/4	Private	Irrigated	0.065	Vivek Minor Father Ramcharan Caste Teli Address Dindori Madhya Pradesh land Owner 1946/4
6	1946/5	Private	Irrigated	0.056	Vijay Father Tularam Caste Teli Address Dindori Madhya Pradesh land Owner 1946/5
	Village: Barkhera Mal				
7	216	Government	Seva khatedar	0.046	Awadh Bihari Father Narju Caste pardhan Address Dindori Madhya Pradesh Land Owner 216/1
8	217	Government	Seva khatedar	0.031	Awadh Bihari Father Narju Caste pardhan Address Dindori Madhya

					Pradesh Land Owner 217
9	901/181	Private	pattedar	0.003	Sudarsan Father Gangaram Caste Mehra Address S. Deh Government Organization 901/181
	Village: Deori Kalan				
10	311	Government	nadi	0.221	Madhya Pradesh Government 311
	Village: Tikra Khamhariya				
11	24	Private	shaskiya patte daar	0.032	Ghanshyam Father Pancham Caste Pardhan Address Dindori Madhya Pradesh 24
12	4	Private	shaskiya patte daar	0.015	Ghanshyam Father Pancham Caste Pardhan Address Dindori Madhya Pradesh 4
			TOTAL	0.621	

[F. No. CE-RO BPL/30010/48/2018-19/3D]

RAJESH GUPTA, Director